<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 995/2023

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

आशीष पुत्र ओमप्रकाश, निवासी-नई आबादी असनावर, पुलिस थाना असनावर जिला झालावाड़

अभियुक्त....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री रामविलास रावल, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 07-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 406 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.09.2023 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23-06-2023 को परिवादिया श्रीमति मोनिका ने इस न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसकी शादी हस्ब हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार सप्तपदी से मुल्जिम आशीष के साथ 28.04.2022 को ग्राम खोखेड़ा लाल थाना अकलेरा में सम्पन्न हुई थी तथा शादी के साथ ही उसको उसके पिता परिजन ने गोना देकर मुल्जिम के साथ आती जाती कर दी थी तथा विवाह गोने के बाद से वह अपने पति धर्म का पालन करती आ रही थी। शादी गोने के समय उसके पिता व परिवारजन ने स्त्रीधन के रूप में हैसियत अनुसार स्त्रीधन दिया था एवं उसको उसके ससुराल मुल्जिमान के घर असनावर भिजवा दिया था। फरियादिया का स्त्रीधन मुल्जिमान ने हड़प कर लिया है। गोने के बाद से ही मुल्जिमान का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा तथा मुल्जिमान उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लग गए तथा मुल्जिमान उसको ताने मारते कि तेरा बाप भूखा नंगा है जिसने विवाह के समय दहेज में कुछ नहीं दिया तथा उसको उसके पिता के घर से दहेज के 2 लाख रूपए नकद एवं एक मोटरसाईकिल लाने की धमकी देने लगे तथा कहने लगे कि दहेज में 2 लाख रूपए नकद एवं एक मोटरसाईकिल लेकर आएगी तभी तुझे रखेगें नहीं तो तुझे सुखी नहीं रहने देंगे किसी दिन केरोसीन डालकर जला देंगे। वह सब दुखों को सहन करते हुए चली आ रही थी कि धीरे धीरे सब कुछ सुधर जावेगा परन्तु मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा दुख तकलीफ देते रहे तो उसने सारे दुख तकलीफ अपने परिवारजन पिता को बताया तो उसके पिता व परिवारजन ने भी मुल्जिमान को समझाया परन्तु मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा उसके पिता गरीब व्यक्ति है जो कि मुल्जिमान की नाजायज मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। पूर्व में भी उसको दहेज की मांग 2 लाख रूपए एवं एक मोटरसाईकिल को लेकर मारपीट कर घर से भगा दिया जिसका मुकदमा उसने दर्ज करवाया

था लेकिन मुल्जिमान ने चालाकीपूर्वक उसमें राजीनामा कर उसको वापस ले गए थे परन्तु ले जाने के बाद मुल्जिमान फरियादिया को दहेज की मांग को लेकर परेशान तंग कर प्रताड़ित करने लग गए व करीबन 4 दिन पूर्व उसको मुल्जिमान द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर समस्त स्त्रीधन छिनकर उसे घर से भगा दिया तथा उसके द्वारा अपना स्त्रीधन मांगा तो वो भी देने से साफ इंकार कर दिया तो वह रोती चिल्लाती अपने मायक के घर ग्राम खोखेड़ालाल आई व उनको सारा वाका बताया। मुल्जिम आशीष दूसरे दिन उसके पिता के गांव आया व आकर धमकी देने लगा यदि उसकी दहेज की मांग 2 लाख रूपए नकद एवं एक मोटरसाईकिल को पूरा नहीं किया तो इसके नहीं लेकर जाउंगा तो उसके परिजनों ने मुल्जिम को काफी समझाया लेकिन वह अपनी दहेज की मांग पर अड़ा रहा व लड़ाई झगड़ा कर वापस चला गया।, इत्यादि।

03- उपरोक्त परिवाद धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना अकलेरा को प्रेषित किया गया, जिसपर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 422/2023, अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इसी धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

4. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्त को धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 गुड्डी बाई, पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल, पी.डब्ल्यू. 03 मोनिका, पी.डब्ल्यू. 04 राजू उर्फ राजाराम, पी.डब्ल्यू. 05 शिवराज, पी.डब्ल्यू. 06 लेखराज को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत पी. 8 तक दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। मामले में स्वयं फरियादिया सहित अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य सभी गवाहान की

साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, जिन्होंने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2023 से किसी समय पूर्व मौजा ग्राम नई आबादी असनावर में परिवादिया मोनिका से विवाह होने के पश्चात् परिवादिया का पति होते हुए किसी दिन व किसी समय मौजा नई आबादी असनावर स्थित स्वयं के निवास पर परिवादिया को कम दहेज लाने के ताने देकर परिवादिया से दहेज में दो लाख रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा परिवादिया को विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवर, बर्तन, सामान आदि स्त्रीधन, जो आपके पास न्यस्त था, का आपने बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लिया तथा परिवादिया द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यासभंग किया। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का उद्भव परिवादिया मोनिका द्वारा पेश परिवाद प्रदर्श पी. 2 के आधार पर हुआ है, जिसमें परिवादिया ने अंकित किया है कि उसकी शादी हस्ब हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार सप्तपदी से मुल्जिम आशीष के साथ 28.04.2022 को ग्राम खोखेड़ा लाल थाना अकलेरा में सम्पन्न हुई थी तथा शादी के साथ ही उसको उसके पिता परिजन ने गोना देकर मुल्जिम के साथ आती जाती कर दी थी तथा विवाह गोने के बाद से वह अपने पति धर्म का पालन करती आ रही थी। शादी गोने के समय उसके पिता व परिवारजन ने स्त्रीधन के रूप में हैसियत अनुसार स्त्रीधन दिया था एवं उसका उसके ससुराल मुल्जिमान के घर असनावर भिजवा दिया था। फरियादिया का स्त्रीधन मुल्जिमान ने हड़प कर लिया है। गोने के बाद से ही मुल्जिमान का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा तथा मुल्जिमान उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लग गए तथा मुल्जिमान उसको ताने मारते कि तेरा बाप भूखा नंगा है जिसने विवाह के समय दहेज में कुछ नहीं दिया तथा उसको उसके पिता के घर से दहेज के 2 लाख रूपए नकद एवं एक मोटरसाईकिल लाने की धमकी देने लगे तथा कहने लगे कि दहेज में 2 लाख रूपए नकद एवं एक मोटरसाईकिल लेकर आएगी तभी तुझे रखेगें नहीं तो तुझे सुखी नहीं रहने देंगे किसी दिन केरोसीन डालकर जला देंगे। वह सब दुखों को सहन करते हुए चली आ रही थी कि धीरे धीरे सब कुछ सुधर जावेगा परन्तु मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा दुख तकलीफ देते रहे तो उसने सारे दुख तकलीफ अपने परिवारजन पिता को बताया तो उसके पिता व परिवारजन ने भी मुल्जिमान को समझाया परन्तु मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा उसके पिता गरीब

व्यक्ति है जो कि मुल्जिमान की नाजायज मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। पूर्व में भी उसको दहेज की मांग 2 लाख रूपए एवं एक मोटरसाईकिल को लेकर मारपीट कर घर से भगा दिया जिसका मुकदमा उसने दर्ज करवाया था लेकिन मुल्जिमान ने चालाकीपूर्वक उसमें राजीनामा कर उसको वापस ले गए थे परन्तु ले जाने के बाद मुल्जिमान फरियादिया को दहेज की मांग को लेकर परेशान तंग कर प्रताड़ित करने लग गए व करीबन 4 दिन पूर्व उसको मुल्जिमान द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर समस्त स्त्रीधन छिनकर उसे घर से भगा दिया तथा उसके द्वारा अपना स्त्रीधन मांगा तो वो भी देने से साफ इंकार कर दिया तो वह रोती चिल्लाती अपने मायक के घर ग्राम खोखेड़ालाल आई व उनको सारा वाका बताया। मुल्जिम आशीष दूसरे दिन उसके पिता के गांव आया व आकर धमकी देने लगा यदि उसकी दहेज की मांग 2 लाख रूपए नकद एवं एक मोटरसाईकिल को पूरा नहीं किया तो इसके नहीं लेकर जाउंगा तो उसके परिजनों ने मुल्जिम को काफी समझाया लेकिन वह अपनी दहेज की मांग पर अड़ा रहा व लड़ाई झगड़ा कर वापस चला गया।, इत्यादि।

12- परिवादिया मोनिका न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ बयानों की मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी. 2 की ताईद की है। उक्त गवाह ने जिरह में अभिकथित किया है कि उसका आशीष से राजीनामा हो गया है। वकील साहब ने दावे में क्या लिखा था, उसे याद नहीं है। आशीष तो उसे अच्छा प्रेमपूर्वक रखता था। उसकी सासु उसे घर के काम के लिए छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था। उसकी सास का उससे लड़ाई झगड़ा होने के कारण ही उसने यह दावा लगाया था और इसी बात को लेकर उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था और दावा किया था।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 राजू है जो कि फरियादिया का भाई है। उक्त गवाह ने न्यायालय बयान में कथन किया है कि आशीष, मोनिका से पहले तो लड़ाई करता था लेकिन अब प्रेम से रहते हैं लेकिन उसकी सास लड़ती थी। आशीष व मोनिका के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मोनिका व आशीष के बीच राजीनामा हो गया है। उसके सामने आशीष ने कभी दहेज की मांग नहीं की।

14- गवाह पी.ड़ब्ल्यू. 05 शिवराज व पी.ड़ब्ल्यू. 06 लेखराज है जो कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 08 के गवाह हैं। जिरह में उक्त गवाहान ने कथन किया है कि उनके पुलिस वालों ने किस बात के हस्ताक्षर कराए थे यह उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया था। पुलिस ने उनके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 गुड्डी बाई, पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल जो कि फरियादिया के माता-पिता है जिसने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि ससुराल से लाने के बाद पांच छः महीने बाद उसने यह दावा किया था। आशीष उसकी लड़की को लेने नहीं आया इस कारण यह दावा किया था। उनके सामने कोई मारपीट नहीं की व न ही कोई दहेज की मांग की।

15- इस प्रकार सभी गवाहान की साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि फरियादिया ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आशीष से उसका राजीनामा हो गया है। आशीष उसे प्रेमपूर्वक रखता था। उसकी सास का उससे लड़ाई झगड़ा होने के कारण ही उसने यह दावा लगाया था। फरियादिया के माता पिता ने स्वीकार किया है कि उसनके सामने कोई मारपीट

नहीं की और न ही कोई दहेज की मांग की। गवाह पी.डब्ल्यू. 04 राजू ने भी स्वीकार किया है कि आशीष व मोनिका के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसके सामने आशीष ने कभी दहेज की मांग नहीं की। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिमान द्वारा अपराध किया जाना साबित नहीं हुआ है।

16- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2023 से किसी समय पूर्व मौजा ग्राम नई आबादी असनावर में परिवादिया मोनिका से विवाह होने के पश्चात् परिवादिया का पति होते हुए किसी दिन व किसी समय मौजा नई आबादी असनावर स्थित स्वयं के निवास पर परिवादिया को कम दहेज लाने के ताने देकर परिवादिया से दहेज में दो लाख रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा परिवादिया को विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवर, बर्तन, सामान आदि स्त्रीधन, जो आपके पास न्यस्त था, का आपने बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर लिया तथा परिवादिया द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यासभंग किया। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

17- अतः अभियुक्त आशीष पुत्र ओमप्रकाश, निवासी-नई आबादी असनावर, पुलिस थाना असनावर जिला झालावाड़ को धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीज़न निरस्त समझे जाए। प्रकरण में जप्तशुदा सामान प्रकरण की परिवादिया को अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया गया था, जो बाद गुजरने मियाद अपील उसी के पास रहे।

18- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

19- निर्णय आज दिनांक 07-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.02.09 10:41:42 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।